(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1594-दो/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-7-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 121/2006-07 अपील

द्वारका प्रसाद पुत्र लालदास बैरागी
ग्राम उमरिया मंदिर ईसागढ़
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मणदास पुत्र घनश्याम दास बैरागी
ग्राम ईसागढ़ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 121/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ को आवेदन देकर बताया कि मंदिर श्री राम जानकी ग्राम उमरिया तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर में स्थित है जिसका वह पुजारी है किन्तु आवेदक ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है इसलिये कब्जा हटाया जावे। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण

कमांक 1456 बी-121/2000-01 पॅजीबद्व किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई एंव जॉच करके आदेश दिनॉक 18-11-2005 पारित किया तथा मंदिर श्री रामजानकी प्रबन्धक कलेक्टर (जिसके पुजारी पद पर अनावेदक को नियुक्त) पाते हुये तथा आवेदक को बेजा कब्जेदार पाने से बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 25/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-12-2006 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ग्वालिय संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 121/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ग्राम उमरिया में नहीं रहता है वह ग्राम खेजरा जिला गुना में रहता है जिसके कारण उसने मंदिर की देखरेख एंव पूजा व्यवस्था के लिये आवेदक को नियुक्त किया है। आवेदक मंदिर में निवास करता है एंव मंदिर की देखरेख एंव पूजा व्यवस्था करता है जिसके कारण आवेदक ही पुजारी है । आवेदक को बेदखल करने के बजाय उसे पुजारी नियुक्त करने की कार्यवाही तहसीलदार को करना चाहिये थी क्योंकि अनावेदक पुजारी पद का ग्राम में रहकर कार्य नहीं करता है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव आवेदक को पुजारी बनाये जाने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने मंदिर श्री राम जानकी ग्राम उमरिया का पुजारी नियुक्त किया है उसके व्दारा कभी भी आवेदक को मंदिर की सेवा पूजा के लिये नियुक्त नहीं किया है वरण् आवेदक ने धोंस धपट से मंदिर पर जबरन कब्जा कर रखा है एंव पुजारी को पूजा नहीं करने देता है। तहसीलदार व्दारा की गई

जांच में जबरन कब्जा प्रमाणित होने पर आवेदक के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 1456 बी-121/2000-01 में पारित आदेश दिनॉक 18-11-2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आदेश के पैरा 8 में इस प्रकार अंकित किया है :-

" अनावेदक श्री द्वारिका प्रसाद बैरागी जो कि मंदिर में अनाधिकार कब्जा किये हुये है उनकी इस बात को यदि मान भी लिया जाये कि द्वारिका प्रसाद बैरागी को लक्ष्मणदास ने ही पूजा करने के लिये अधिकृत किया है तो भी द्वरिका प्रसाद बैरागी को मंदिर का पुजारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वर्तमान में केवल ग्राम सभा व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ही पुजारी नियुक्त करने का अधिकार है अर्थात श्री लक्ष्मणदास को पुजारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है तथा श्री द्वारिका प्रसाद को कोई हक नहीं बनता। "

तहसीलदार ने उक्त Finding देते हुये आवेदक को मंदिर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये हैं। **यह सही है कि जब अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने अनावेदक को पुजारी पद पर नियुक्त किया है, यदि अनावेदक ग्राम खेजरा जिला गुना में रहता है एंव उसके द्वारा ग्राम उमरिया के मंदिर की देखरेख एंव पूजा की अस्थाई व्यवस्था के लिये आवेदक को पूजा करने के लिये तैनात कर रखा है निश्चित है अनावेदक ने पुजारी पद की गरिमा एंव कर्तव्यों की उपेक्षा की है जिसकी प्रथक से जॉच होना लाजमी है। चूँकि मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर अशोकनगर है जिनके द्वारा यह कार्यवाही करवाना चाहिये।** हालॉकि विचाराधीन प्रकरण में आवेदक अनाधिकृत रूप से मंदिर श्री राम जानकी स्थित ग्राम उमरिया में निवास करने का दोषी पाया गया

है जो बेजा कब्जेदार की श्रेणी में है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 1456 बी-121/2000-01 में पारित आदेश दिनॉक 18-11-2005 में निकाले गये निष्कर्ष , अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-12-2006 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-7-2007 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर अशोकनगर को प्रथक से भेजी जाये।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर